

शा.ज.उ.म. / शु.न.१५

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

क्र.सं.	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.ओ.
६७ १८	पगावली का मूल वाप अवम हाजरी व अवम पेशी से खरीज किया जा चुका है अब पगावली का चलन का कोई औचित्य नहीं रहा है पगावली नम्बर से काम है और मूल वाप के साथ समाप्त है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अवम)